>

Title: Need for a Central legislation for providing social security to weavers besides reinstating the retrenched workers of 'Maharashtra Rajya Bunkar Maha Mandal.

श्री शिशुपाल पटले (भन्डारा) : महोदय, देश में बुनकर कामगार बहुत संख्या में है। विशेषतः महाराÂष्ट्र में विगत 80 वर्षों से ये श्रमिक हाथ से कपड़ा बनाते हैं एवं उनमें अच्छी कला है। महाराÂष्ट्र सरकार ने बुनकरों से बनाया गया कपड़ा खरीद कर राज्य में सभी सरकारी दफ्तरों में सप्लाई करने के लिए महाराष्ट्र राज्य बुनकर महामंडल बनाया, जिससे राज्य में 1 लाख से ज्यादा श्रमिक इस उद्योग पर निर्भर थे। लेकिन हाल ही में महाराÂष्ट्र सरकार ने इन्हें असंलग्नित कर दिया एवं उन्हें रू0 25,000 देकर काम से बंद कर दिया। इस कारण महाराÂष्ट्र में इन श्रमिकों पर भूखे रहने की नौबत आ गई है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन श्रमिकों को फिर से काम पर लिया जाये। जिनको रू0 25,000/- देकर बंद किया है, व राशि कम है, उसे बढ़ाकर 1 लाख रू0 किया जाये। लो लोग काम करना चाहते हैं उनका पीएफ काटा जाए। बुनकर श्रमिकों के लिए कामगार कानून (सुरक्षा के लिए) बनाया जाये। शिÂक्षावृत्ति, स्वास्थ्य सुविधा, आवास योजना का लाभ एवं पेंशन लागू किया जाये।